

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Board level posts and below Board level posts including Non-unionised supervisors in Central Public Sector Enterprises (CPSEs)- Revision of scales of pay w.e.f. 01.01.1997 – Payment of IDA at revised rates regarding.


In modification of this Department's O.M. of even No. dated 03.07.2014, the rate of DA payable to the executives of CPSEs (1997 pay revision) is as follows:

- a) **Date from which payable:** 01.10.2014
- b) **Average AICPI (1960=100) for the quarter June'2014 -August' 2014**

June, 2014	:5615
July, 2014	:5753
August, 2014	:5773
Average of the quarter	: 5714
- c) **Link Point** :1708 (as on 01.01.1997)
- d) **Increase over link point:** 4006 (5714-1708)
- e) **Revised DA Rate w.e.f. 01.10.2014:** 234.5% $[(4006 \div 1708) \times 100]$

2. These rates are applicable in the case of IDA employees, whose pay have been revised with effect from 01.01.1997 as per DPE O.M. dated 25.06.1999.


3. All Administrative Ministries/Departments of the Government of India are requested to bring the foregoing to the notice of the CPSEs under their administrative control for necessary action at their end.


(Samsul Haque)
Under Secretary

To: All the administrative Ministries/Departments of the Government of India.

Copy to:

- 1 .Chief Executives of Central Public Sector Enterprises.
- 2 .Financial Advisers in the Administrative Ministries/ Departments.
- 3 .Department of Expenditure, E-II Branch, North Block, New Delhi
- 4.The Comptroller & Auditor General of India, 9, Deen Dayal Upadhayay Marg, New Delhi
- 5.NIC, DPE with the request to upload this OM on to the DPE website.


(Samsul Haque)
Under Secretary

सं. डब्ल्यू.-02/0004/2014-लोउवि(मजूरी कक्ष)-जी एल-XVIII/14

भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग

लोक उद्योग भवन,
ब्लॉक नं. 14, सी. जी. ओ. काम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003
दिनांक: 09 अक्टूबर, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में असंघबद्ध पर्यवेक्षकों सहित निदेशक मण्डल स्तर के तथा निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के पदों के वेतनमान में 01.01.1997 से संशोधन-संशोधित दरों पर औद्योगिक महंगाई भत्ते का भुगतान।

इस विभाग के दिनांक 03.07.2014 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का आशोधन करते हुए केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यपालकों को देय महंगाई भत्ते की दरें (1997 का वेतन संशोधन) निम्न प्रकार कर दी जाएं:

(क) जिस तारीख से देय है: 01.10.2014

(ख) जून, 2014-अगस्त, 2014 तिमाही का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संबंधित 1960 =100) का औसत

जून, 2014	5615
जुलाई, 2014	5753
अगस्त, 2014	5773
तिमाही का औसत	5714


(ग) मूल्य सूचकांक: 1708 (दिनांक 01-01-1997 को)

(घ) मूल्य सूचकांक की तुलना में वृद्धि अंक : 4006 अंक (5714-1708)

(ङ.) दिनांक 01-10-2014 से संशोधित महंगाई भत्ता दर: 234.5% [(4006 + 1708) X 100]

2. महंगाई भत्ते की ये दरें औद्योगिक महंगाई भत्ता पाने वाले उन कर्मचारियों के मामले में लागू होंगी, जिनके वेतन लोक उद्यम विभाग के दिनांक 25.06.1999 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 01.01.1997 से संशोधित कर दिए गए हैं।

3. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त को आवश्यक कार्रवाई के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के ध्यान में लाएं।



(समसुल हक)
अवर सचिव

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालक।
2. प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय सलाहकार।
3. व्यय विभाग, स्था.-II शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जाए।



(समसुल हक)
अवर सचिव